संख्या-13/2018/1665/26-3-2018-4(34)/2015

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी 2018

विषयः-संविधान की धारा-275(1) के अन्तर्गत जनपद-बिजनौर में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु आश्रम पद्धति सहशिक्षा आवासीय विद्यालय (कक्षा-6 से 12 तक) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय जनजाति विकास के पत्रांक-54/ज.जा.वि/2016-17, दिनांक-17.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100/रा.0-के0)-24-वृहत निर्माण के मानक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-बिजनौर में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु आश्रम पद्धति सहशिक्षा आवासीय विद्यालय (कक्षा-6 से 12 तक) के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रूपया-874.98 लाख (रूपया आठ करोड़ चौहत्तर लाख अटठानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उपलब्ध धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपया-437.45 लाख (रूपया चार करोड़ सैतिस लाख पैतालिस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में यदि बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (निर्माण) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ उपलब्ध कराने पर ही नियमानुसार द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि की स्वीकृति यथासमय निर्गत की जायेगी। स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275-(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100/रा.0के0)-24-वृहत निर्माण के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृसं0-13/2018/1665(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2 महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3 निजी सचिव,मा0 राज्यमंत्री, समाज कल्याण अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, उ0प्र0।

4 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

5 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6 जिलाधिकारी, बिजनौर।

7 जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर ।

8 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

10 प्रबंध निदेशक,यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।

11 निदेशक, एन0आई0सी0।

12 गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।